माननीय न्यायमूर्ति एम. जयपॉल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के समक्ष

दिनेश कोतवाल-अपीलकर्ता

बनाम

अंजू कोतवाल-प्रतिवादी/एक्स-आपत्तिकर्ता

2010 का एफएओ-एम नंबर 195 और

2010 की एक्स-आपत्ति-62-सीआईआई

अप्रैल 06, 2017

एक। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13(1)(i-क)—तलाक—रेकी का अभ्यास करने वाली पत्नी—पति द्वारा क्रूरता और परित्याग का आरोप—पत्नी का रुख—मन की शांति प्राप्त करने के लिए उसने रेकी सीखी—यह स्थापित नहीं किया कि पत्नी ने संसार का त्याग किया—तलाक का कोई आधार नहीं।

अभिनिर्धारित किया कि, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रतिवादी रेकी मरहम लगाने वाले के रूप में अभ्यास कर रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी ने इस तरह के आरोप पर विवाद किया. प्रतिवादी ने सही रुख अपनाया है कि उसने मन की शांति हासिल करने के लिए रेकी सीखी थी। जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि एक पति या पत्नी ने दुनिया को त्याग दिया है, केवल यह आरोप कि एक पति या पत्नी ने रेकी सीखी है, तलाक का आधार नहीं हो सकता है।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि, इसलिए, प्रतिवादी के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता और परित्याग के संबंध में किए गए सामान्य आरोपों के आधार पर, अपीलकर्ता तलाक की डिक्री का हकदार नहीं है जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया है।

(पैरा 11)

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(1)(i-क) - तलाक-क्रूरता-मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान पति के विवाहेतर संबंध का आरोप-यह माना जाता है कि लिखित बयान में या उसके बाद की कार्यवाहियों में क्रूरता का आरोप तब तक क्रूरता नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि क्रूरता का ऐसा आरोप पति की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के गुप्त उद्देश्य से लगाया गया है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, पत्नी द्वारा लिखित बयान में या उसके बाद की कार्यवाही में की गई क्रूरता का आरोप, स्वतः क्रूरता नहीं होगा। लेकिन अगर यह तथ्यात्मक रूप से स्थापित हो जाता है कि क्रूरता का ऐसा आरोप अपीलकर्ता

की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के मकसद से लगाया गया है, तो यह निश्चित रूप से क्रूर कार्य। व्यभिचार का आरोप अगर तथ्यात्मक रूप से सही पाया जाता है तो वह कभी भी क्रूरता नहीं होगा।

(पैरा 25

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(1)(i-b)-तलाक-व्यभिचार-पति द्वारा पत्नी को लिखा गया पत्र यह स्थापित करता है कि उसने अपने वैवाहिक संबंधों के बाहर अंतरंगता विकसित कर ली है- तस्वीरों से पता चलता है कि पति ने महिला के साथ घनिष्ठता विकसित की जैसा कि पत्नी ने आरोप लगाया है- पति के खिलाफ व्यभिचार का आरोप निराधार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी-पत्नी को लिखा गया है। बेशक, जैसा कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, यह एक आत्म-प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के आत्म-प्रतिबिंब को प्रतिवादी को एक पत्र के रूप में लिखा गया था। अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह पत्र उसके द्वारा अपनी पत्नी को लिखा गया था। अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी को संबोधित पत्र में पाई गई मौलिक पंक्तियां स्पष्ट रूप से बिना किसी अस्पष्टता के स्थापित करती हैं कि उसने अपने वैवाहिक संबंधों के बाहर कम से कम एक महिला के साथ अंतरंगता विकसित की थी, जैसा कि प्रतिवादी-पत्नी ने सही आरोप लगाया है।

(पैरा 29)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, Ex.P15 से Ex.P17 की तस्वीरें इस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़ लेती हैं कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा कथित महिला के साथ अंतरंगता विकसित की थी। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी-पत्नी व्यभिचार के किसी भी निराधार आरोप के साथ सामने नहीं आई है। हमारा दृढ़ मत है कि उनके आरोप सच्चाई से भरे हुए हैं।

(पैरा 30)

D. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O.1, Rl.10-हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-विवाहेतर संबंध में आरोपी महिला का अभियोग-अधिनियम, 1955 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस तरह के पक्ष को पक्षकार बनाने का अधिदेश देता हो।

यह मानते हुए कि, अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा संदर्भित महिला लिलू चौधरी को निष्पक्ष सुनवाई दिए बिना निंदा नहीं की जा सकती है। Ex.P15 से P17 और Ex.P21 के आकार में उपरोक्त सामग्रियों के तथ्य में, लिल्लू चौधरी की अभियोग केवल एक खाली औपचारिकता है। अन्यथा भी, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की योजना के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो यह अधिदेशित करता हो कि उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत मांगी गई राहत प्रदान करने से पहले ऐसे पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किया गया उपरोक्त सबमिशन प्रभावशाली नहीं पाया जाता है।

(पैरा 32)

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13 (1) (i-b) - पति द्वारा इस आधार पर दायर तलाक याचिका को खारिज करने के लिए पत्नी द्वारा प्रति-आपत्ति कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पति द्वारा कथित क्रूरता को उसके द्वारा माफ किया गया - पति द्वारा किए गए प्रवेश को छोड़कर कि उसे विदेश से आए बच्चों के साथ पत्नी की संगति में रहना था, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पति द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर किए जाने के बाद पति और पत्नी ने एक-दूसरे के साथ सहवास करना शुरू कर दिया था।

अभिनिर्धारित किया कि, प्रतिवादी-पत्नी द्वारा उठाई गई प्रतिवाद-आपत्तियां। उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर याचिका को पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए खारिज करने की प्रार्थना करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी फिर से मिल गए थे और खुशी से एक साथ रहने लगे थे। अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रवेश को छोड़कर कि उसे उन बच्चों के साथ प्रतिवादी की संगति में रहना था जो विदेश से आए थे, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर किए जाने के बाद अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने एक-दूसरे के साथ सहवास करना शुरू कर दिया है।

(पैरा 33)

इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा तलाक के लिए दायर याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करने वाले आवेदन को इस दलील पर खारिज कर दिया है कि वे शामिल हो गए थे और पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना शुरू कर दिया था, जो प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से की गई क्रूरता को माफ करने के बराबर होगा।

(पैरा 34)

रमन महाजन, अपीलकर्ता के वकील।

राजीव कटारिया, प्रतिवादी/एक्स-आपत्तिकर्ता के वकील।

एम. जयपॉल, न्यायमुर्ति

(1) अपीलकर्ता पति दिनेश कोतवाल ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर अपनी याचिका को खारिज करने को चुनौती दी है, जिसमें परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की गई है। प्रतिवादी-पत्नी अंजू कोतवाल ने अपनी एक्स-आपत्तियों में अपने आवेदन को खारिज करने को चुनौती दी है, जिसमें उनके पति, अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है, इस आधार पर कि उनके पति द्वारा कथित क्रूरता को उनके द्वारा माफ कर दिया गया था।

(2) अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी के साथ अपीलकर्ता का विवाह मार्च, 1981 में भोपाल में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार हुआ था। उन्हें 15.1.1982 को एक पुरुष और 15.12.1983 को एक महिला बच्चे का आशीर्वाद मिला। हालांकि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी का ख्याल रखा, लेकिन प्रतिवादी का रवैया अपीलकर्ता के प्रति उदासीन और अभिमानी था। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के प्रति घृणा विकसित

की थी और अपीलकर्ता को उसके माता-पिता से अलग करने में सफल रहा था। प्रतिवादी बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह बिना किसी तुक-झगड़ या कारण के झगड़ा उठा लेती थी। मई, 1988 के महीने में, अपीलकर्ता को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन प्रतिवादी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी रेकी हीलर के रूप में काम कर रहा है। वह संदिग्ध और शातिर स्वभाव की है। अपीलकर्ता सितंबर, 2000 के महीने के दौरान पंचकूला में अपने घर गया था। प्रतिवादी का व्यवहार असामान्य और अहंकारी था और जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को जोधपुर लौटने से पहले अपना घर छोड़ना पड़ा और रेलवे स्टेशन पर रात बितानी पड़ी। प्रतिवादी शादी से पैदा हुई बेटी के साथ जोधपुर आया और हिंसक दृश्य पैदा किया। मई 2001 के महीने में अपीलकर्ता को चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने के बाद भी, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह, वास्तव में, दुनिया को पूरी तरह से त्याग देती है और खुद को रेकी के लिए समर्पित करती है। उपरोक्त सभी कारणों से अपीलकर्ता ने तलाक की मांग की है।

(3) लिखित बयान में प्रतिवादी-पत्नी द्वारा किए गए संक्षिप्त कथन यह हैं कि वह हमेशा अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के प्रति सम्मानजनक थी। उसने कभी क्रूरता नहीं की जैसा कि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है। यह केवल अपीलकर्ता था जिसने क्रूरता के कार्य किए थे। वह अपनी क्षमता के अनुसार अपीलकर्ता की सेवा और देखभाल कर रही थी। अपीलकर्ता अपने परिवार को इस आधार पर जोधपुर नहीं ले गया था कि जोधपुर में उसके पास अच्छा आवास नहीं था। प्रतिवादी ने अपनी शांति के लिए रेकी सीखी थी, लेकिन उसने कभी रेकी मरहम लगाने वाले के रूप में काम नहीं किया। अपीलकर्ता प्रतिवादी और उसके बच्चों के साथ घुसपैठियों के रूप में व्यवहार करता था जब वे जोधपुर जाते थे। 25.1.2001 को, जब प्रतिवादी अपनी बेटी के साथ जोधपुर पहुंची, तो अपीलकर्ता ने उन्हें अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उनकी मदद एक पड़ोसी ने की जिसने पुलिस को फोन किया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को सूचित किया कि वह पुनर्विवाह करना चाहता है और प्रतिवादी से आपसी तलाक के लिए सहमत होने की अपील की। उसने एक महिला की कुछ तस्वीरें दीं, जिससे वह पुनर्विवाह करना चाहता था। चूंकि प्रतिवादी अपीलकर्ता के प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं था, इसलिए उसे अपीलकर्ता द्वारा बुरी तरह पीटा गया। यह तर्क देते हुए कि अपीलकर्ता झूठे और तुच्छ आरोपों के साथ सामने आया था, प्रतिवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

(4) प्रतिवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका के लंबित रहने के दौरान एक आवेदन दायर किया, जिसमें याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई क्योंकि अपीलकर्ता ने कथित क्रूरता को माफ कर दिया था। अपीलकर्ता 22.7.2007 को प्रतिवादी के साथ फिर से जुड़ गया। अपीलकर्ता और प्रतिवादी 16.9.2008 से 24.9.2008 तक बॉम्बे, शिरडी, अलोरा और गोवा गए। प्रतिवादी लखनऊ में अपीलकर्ता में शामिल हो गया जहां उसे स्थानांतरित कर दिया गया था और लगभग 4 दिनों तक उसके साथ रहा। प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा कथित क्रूरता के कृत्यों को उसके द्वारा माफ कर दिया गया था। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत दायर याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

(5) अपीलकर्ता ने उपरोक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य आरोप पर विवाद किया गया कि वह प्रतिवादी के साथ फिर से जुड़ गया और 22.7.2007 से उसके साथ खुशी से रहा।

(6) अपीलकर्ता की ओर से, उसे पीडब्लू 1 के रूप में और एक दलबीर सिंह को पीडब्ल्यू 2 और बिहार लाल, क्लर्क को पीडब्ल्यू 3 के रूप में जांचा गया था। प्रतिवादी ने खुद को आरडब्ल्यू 1 के रूप में जांच की थी।

(7) ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता क्रूरता के सामान्य आरोप के साथ सामने आया था। अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता की कोई विशिष्ट घटना नहीं की गई और इसे स्थापित नहीं किया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन में कोई तथ्य नहीं था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई थी कि उसने क्रूरता के कृत्य को माफ कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि वह कथित आधार स्थापित करने में विफल रहा।

(8) हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील और प्रतिवादी की ओर से पेश वकील द्वारा की गई विस्तृत प्रस्तुतियों को सुना।

(9) अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी का रवैया उसके प्रति उदासीन और अभिमानी था। कथित उदासीन रवैये और प्रतिवादी के अहंकार का परिणाम याचिका में बिल्कुल विस्तृत नहीं था, न ही इसके संबंध में कोई सबूत दिया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता के प्रति प्रतिवादी द्वारा किस तरह की नफरत विकसित की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी की चालाक और स्वार्थी प्रकृति का कोई विवरण चित्रित नहीं किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी बिना किसी तुक या कारण के झगड़े उठाता था। परिवार में छोटे-मोटे झगड़े वैवाहिक जीवन में टूट-फूट का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। लेकिन यह तलाक का आधार नहीं हो सकता।

(10) यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रतिवादी एक रेकी मरहम लगाने वाले के रूप में अभ्यास कर रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी ने इस तरह के आरोप पर विवाद किया। प्रतिवादी ने सही रुख अपनाया है कि उसने मन की शांति हासिल करने के लिए रेकी सीखी थी। जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि एक पति या पत्नी ने दुनिया को त्याग दिया है, केवल यह आरोप कि एक पति या पत्नी ने रेकी सीखी है, तलाक का आधार नहीं हो सकता है।

(11) इसलिए, प्रतिवादी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा किए गए सामान्य आरोपों के आधार पर, अपीलकर्ता तलाक की डिक्री का हकदार नहीं है जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया है।

(12) अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि लिखित बयान में लगाया गया आरोप कि अपीलकर्ता ने एक तस्वीर दिखाते हुए दूसरी महिला से शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्रूरता होगी, क्योंकि इससे अपीलकर्ता को दर्द और पीड़ा हुई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन में कथनों का उल्लेख करते हुए, जिसमें दलीलों में संशोधन की मांग की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अंततः पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते हुए दायर आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि अपीलकर्ता ने क्रूरता को माफ कर दिया था, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने विशेष रूप से बिना किसी आधार के आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता ने एक लिलू चौधरी के साथ विवाहेतर संबंध विकसित किए थे, जो निश्चित रूप से क्रूरता के बराबर होगा, क्योंकि इससे

अपीलकर्ता को दर्द और पीड़ा हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया था कि क्या अपीलकर्ता प्रतिवादी द्वारा लगाए गए विवाहेतर संबंधों के आरोप पर तलाक का हकदार है, क्योंकि पार्टियों के पास इस तरह के आरोप को स्थापित करने और अपने संबंधित साक्ष्य के माध्यम से इसका खंडन करने के लिए सबूत हैं, ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए तलाक की राहत देनी चाहिए थी।

(13) इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के एक निर्णय का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि जब तक अपीलकर्ता ने इस आधार पर तलाक की मांग करने वाली दलीलों में संशोधन नहीं किया कि प्रतिवादी ने विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाया था जिससे उसके साथ क्रूरता हुई थी और ट्रायल कोर्ट ने प्रासंगिक मुद्दों को तैयार किया था जिससे पक्षों को इससे संबंधित साक्ष्य पेश करने की अनुमति मिलती है, न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान दायर आवेदन में अपीलकर्ता के विवाहेतर संबंध के संबंध में प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप के कारण क्रूरता हुई थी। यह उनका आगे का सबमिशन है कि प्रतिवादी ने, वास्तव में, अपने आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश किए थे कि अपीलकर्ता ने एक महिला के साथ घनिष्ठ अंतरंगता विकसित की थी। इसके अलावा, यह उनका निवेदन है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के आधार पर दायर याचिका को प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, जिसमें पक्षों के पुनर्मिलन का ग्राफिक विवरण दिया गया था, जो क्रूरता की माफी होगी, यदि कोई हो।

(14) पारस राम बनाम कमलेश 1 में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"13. एक बार पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि व्यभिचार का केवल आरोप बिना अधिक के कानूनी क्रूरता नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस आधार पर सफल होने के लिए याचिकाकर्ता को इस तरह के आरोप की असत्यता को स्थापित करना होगा। सबूत का बोझ, हालांकि, एक नकारात्मक बोझ होने के नाते प्रारंभिक चरण में एक हल्का होगा। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करना होगा और वैवाहिक राहत के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में व्यभिचार के झूठे आरोप को क्रूरता के रूप में पेश करना होगा। यह केवल तभी होता है जब इसे हमले का आधार बनाया जाता है कि याचिकाकर्ता संभवतः इस तरह के आरोप का लाभ उठा सकता है, अगर यह झूठा साबित होता है। जब तक लिखित बयान में लगाए गए इस तरह के आरोप की सच्चाई या झूठ को पूर्वोक्त तरीके से परीक्षण के लिए नहीं रखा जाता है और इसे एक या दूसरे तरीके से स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 13 (1) (1 ए) के उद्देश्य के लिए कोई कानूनी परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि न केवल अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिए बल्कि उसके संबंध में एक विशिष्ट और स्पष्ट मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को अपनी आंखें खोलकर मुकदमे में जाना चाहिए। हम वैवाहिक मामलों में सर्वव्यापी मुद्दे को तैयार करने के पक्ष में नहीं देख सकते हैं, जैसा कि उनके मामले में तैयार किए गए एकमात्र मुद्दे की स्थिति प्रतीत होती है।

(15) यह एक ऐसा मामला था जहां प्रतिवादी-पत्नी ने एक लिखित बयान दायर किया और बाद में विशेष रूप से आरोप लगाते हुए संशोधन की मांग की कि अपीलकर्ता-पति के गांव की कुछ महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। लिखित बयान में इस तरह के कथन के आधार पर तर्क दिया गया था कि लिखित बयान में पत्नी द्वारा लगाए गए अतिरिक्त मार्शल संबंध

का आरोप कानूनी क्रूरता के बराबर होगा। लेकिन उपरोक्त फैसले में अदालत ने कहा था कि व्यभिचार का तथ्यात्मक रूप से सही आरोप कभी भी क्रूरता नहीं होगा। लेकिन इस न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में लगाए गए आरोपों के आलोक में याचिका में संशोधन करना होगा और व्यभिचार के आरोप पर तलाक से राहत के लिए अनुरोध करना होगा। न्यायालय की अनुमति से अपेक्षित संशोधन किए जाने के बाद, उसके संबंध में विशिष्ट मुद्दे को तैयार करना होगा ताकि पक्षकार उपरोक्त विशिष्ट मुद्दे को छूने वाले साक्ष्य का नेतृत्व कर सकें।

(16) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला देते हुए, प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि बाद की घटनाओं को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाएगा कि क्रूरता की गई थी। अपीलकर्ता को याचिका में संशोधन करने के लिए कदम उठाने और न्यायालय को आवश्यक मुद्दों को तैयार करने के लिए राजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना था।

(17) डॉ. (श्रीमती) मालती रवि, एमडी बनाम डॉ. बीडी रवि, एमडी 2 में, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

"23. इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के कारणों की स्वीकृति से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बाद की घटनाएं जो रिकॉर्ड पर लाई गई गैर-विवादित सामग्री के आधार पर स्थापित की जाती हैं, उन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। यह कहने के बाद, सवाल यह होगा कि क्या मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए डिक्री दी जा सकती है। हम पहले ही यह राय दे चुके हैं कि परित्याग का आधार सिद्ध नहीं हुआ है। परित्याग की जमीन को स्वीकार नहीं करने के बाद, दो मुद्दे जो विचार के लिए बने हुए हैं कि क्या मानसिक क्रूरता का मुद्दा राहत खंड में प्रार्थना के अभाव में तथ्यात्मक मैट्रिक्स में स्वीकार किए जाने योग्य है, और आगे क्या स्थिति ऐसी हो गई है कि यह माना जा सकता है कि मौजूदा तथ्यात्मक परिदृश्य के तहत विवाह संबंधों को जीवित रखना उचित नहीं होगा। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोर देकर आग्रह किया है कि जब केवल परित्याग के आधार पर विवाह के विघटन की मांग की गई थी, तो मानसिक क्रूरता का मुद्दा न तो उठाया जा सकता है और न ही संबोधित किया जा सकता है। उक्त प्रस्तुतीकरण के संबंध में, हम यह प्रश्न उठाने के लिए विवश हैं कि क्या वर्तमान प्रकृति के मामले में हमें प्रतिवादी-पति से याचिका में संशोधन करने और विद्वान परिवार न्यायाधीश को मानसिक क्रूरता के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश देने की आवश्यकता है या हमें तकनीकीता की बेड़ियों को अनदेखा करना चाहिए और अभिलेख पर लाए गए दलीलों और साक्ष्यों के साथ-साथ बाद के तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो अकाट्य हैं ताकि कोई विवाद न हो सके आराम करने के लिए रखा जाता है। हमारी सुविचारित राय में इस न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय करने के लिए मानसिक क्रूरता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि ऐसा करना इस न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है और तेरह वर्ष की मुकदमेबाजी की समाप्ति के बाद पक्षकारों को नए सिरे से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मानसिक क्रूरता की दलील से निपटना जो रिकॉर्ड पर सामग्री से बोधगम्य है, अपीलकर्ता के किसी भी वास्तविक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यह केवल एक मामूली तकनीकी पहलू को माफ करना होगा।

(18) उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि बाद की घटनाएं जो रिकॉर्ड पर लाई गई गैर-विवादित सामग्रियों के आधार पर स्थापित की जाती हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। न्यायालय तकनीकी दलील को नजरअंदाज कर सकता है कि, प्रक्रिया के अनुसार, पार्टियों की दलीलों में बाद

की घटनाओं के संबंध में संशोधन पेश किया जाना चाहिए था। न्यायालय के पास अभिलेखों और अभिलेखों के साथ-साथ बाद के तथ्यों पर विचार करने और निर्णय पारित करने का अधिकार है।

(19) विश्वनाथ बनाम सैन में। सरला विश्वनाथ अग्रवाल, यह निम्नानुसार देखा गया है: -

"36. वर्तमान में बाद की घटनाओं के लिए। नीचे के न्यायालयों ने राय दी है कि दैनिक "लोकमत" में नोटिस के प्रकाशन और 1.10.1995 को हुई घटना को तलाक के लिए याचिका दायर करने के बाद उक्त घटनाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके बाद, नीचे की अदालतों ने उक्त घटनाओं के प्रभाव से इस धारणा पर निपटने के लिए आगे बढ़े हैं कि उन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। जहां तक पहली घटना का सवाल है, एक विचार व्यक्त किया गया है कि नोटिस पत्नी द्वारा बच्चों के हितों की रक्षा के लिए प्रकाशित किया गया था, और दूसरा नीता गुजराती के साथ पति के संबंधों के संबंध में पत्नी की ओर से प्रतिक्रिया थी। हम पहले ही दूसरी घटना का उल्लेख कर चुके हैं और यह विचार व्यक्त किया है कि उक्त घटना यह स्थापित नहीं करती है कि नीता और अपीलकर्ता के बीच एक विवाहेतर संबंध थे। हमने उक्त घटना का उल्लेख किया है क्योंकि हमारा यह सुविचारित मत है कि बाद की घटनाओं पर विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में, हम ए. जयचंद्र (सुप्रा) के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं: -

उन्होंने कहा, 'इस मामले को दूसरे कोण से देखा जा सकता है. यदि तलाक की याचिका दायर करने के बाद के कृत्यों को विपथन के लिए क्षमा करने के लिए देखा जा सकता है, तो याचिका दायर करने के बाद के कृत्यों को व्यवहार और आचरण में एक पैटर्न दिखाने के लिए ध्यान दिया जा सकता है।

(20) पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न उपरोक्त मामले में एक दलील दी गई थी कि तलाक के लिए याचिका दायर करने के बाद हुई घटना पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय अपने विचार में दृढ़ था कि याचिका दायर करने के बाद के कृत्यों पर विचार किया जा सकता है। जब क्रूरता के लिए माफी की याचिका को कार्यवाही के दौरान लेने की अनुमति दी जा सकती है, तो बाद की घटना जो क्रूरता की राशि हो सकती है, को संबंधित पति या पत्नी द्वारा उठाए जाने की अनुमति भी दी जा सकती है।

(21) नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम संपति सुब्बा राव में4,

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय निम्नानुसार दिया गया है -

"अपीलकर्ता ने पहले ही दलील दी थी कि यह जेरॉयटी भूमि थी, जिसमें उसके पूर्ववर्तियों के पक्ष में एक पास्ता मौजूद था, और उसने एक कडप्पा पर सूट को छेड़ा था, जिसमें एक उप-किरायेदारी दिखाई गई थी। यह प्रतिवादी था जिसने दलील दी थी कि यह एक धर्मला इनाम था और जेरोती भूमि नहीं थी, और वह सौ से अधिक वर्षों से अपने पूर्ववर्तियों के बावजूद कुदिवरम अधिकारों के कब्जे में था, और एक अधिभोगी किरायेदार बन गया था। हालांकि अपीलकर्ता ने एक कार्निकम सेवा इनआर्म का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन पार्टियों ने अच्छी तरह से समझा कि एक-दूसरे के विरोध में दो मामले धर्मला सर्वाबाला इनाम के थे क्योंकि एक कर्णकम सेवा इनाम के खिलाफ। इस मामले में जो सबूत पेश किए गए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी ने यह साबित करने का प्रयास किया कि यह एक धर्मलीला इनाम था और इस बात का खंडन करने के लिए कि यह एक कर्णकम सेवा इनाम था। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई मुद्दा तैयार नहीं किया

गया था, और जो तैयार किया गया था, वह अधिक विस्तृत हो सकता था; लेकिन चूंकि पक्षकार प्रतिद्वंद्वी मामले को पूरी तरह से जानते हुए मुकदमे में गए और न केवल अपनी दलीलों के समर्थन में बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों के खंडन में सभी सबूतों का नेतृत्व किया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी मुद्दे की अनुपस्थिति मामले के लिए घातक थी।

(22) उपरोक्त मामले में, पक्षकारों ने दलीलों को अच्छी तरह से समझ लिया है, मामले में शामिल मुख्य मुद्दे को छूने वाले साक्ष्य में दें। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि किसी विशेष मुद्दे को तैयार करने में ट्रायल कोर्ट की ओर से विफलता मामले के लिए घातक साबित नहीं होगी।

"इसके अलावा, जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है, वादी ने उपद्रव के कमीशन के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली के लिए एक डिक्री की मांग की। यह सच है कि ट्रायल कोर्ट ने इसके लिए कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले का एक नंगा अवलोकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि पक्षों को इसके बारे में पता था और न केवल उस संबंध में सबूत पेश किए बल्कि इसके संबंध में अपने संबंधित सबमिशन को भी आगे बढ़ाया। अपील की अदालत ने अपील के निर्धारण के लिए दो विशिष्ट प्रश्न तैयार किए, उनमें से एक है:

"क्या अपीलकर्ता ने विचाराधीन परिसर में उपद्रव पैदा किया था?"

यह आयोजित किया गया था:

"उपद्रव के बिंदु पर, हालांकि, निचली अदालत द्वारा कोई मुद्दा तैयार नहीं किया गया था, फिर भी प्रासंगिक दलीलों और सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पक्ष उक्त मुद्दों के अस्तित्व से अच्छी तरह परिचित थे। इन परिस्थितियों में, मुद्दों को तैयार करने की इच्छा के कारण, पूर्वाग्रह नहीं हुआ और न ही कार्यवाही को दूषित किया गया, सुप्रीम कोर्ट के एआईआर 1963 सुप्रीम कोर्ट 884 के रूप में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मामले को वापस रिमांड करना उचित नहीं है।

(24) उपर्युक्त मामले में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मुद्दे को तैयार न करना मामले की जड़ तक नहीं जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों ने मामले में शामिल मुख्य मुद्दे को छूते हुए पर्याप्त सबूत पेश किए थे और अदालत ने भी इस तरह के मुद्दे का फैसला किया था।

(25) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, हमारा विचार है कि पत्नी द्वारा लिखित बयान में या उसके बाद की कार्यवाही में क्रूरता का आरोप, स्वतः क्रूरता नहीं होगा। लेकिन अगर यह तथ्यात्मक रूप से स्थापित हो जाता है कि क्रूरता का ऐसा आरोप अपीलकर्ता की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के मकसद से लगाया गया है, तो यह निश्चित रूप से क्रूरता होगी। व्यभिचार का आरोप अगर तथ्यात्मक रूप से सही पाया जाता है तो वह कभी भी क्रूरता नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे विचार में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय कि यदि प्रतिवादी-पत्नी लिखित बयान या संपार्श्विक कार्यवाही में व्यभिचार के आरोप के साथ सामने आती है, तो अपीलकर्ता-पति को व्यभिचार के आरोप के आधार पर तलाक के लिए प्रार्थना में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए और न्यायालय विशेष रूप से रेजिगार्ड के साथ इस मुद्दे को फ्रेम करने के दायित्व का निर्वहन भी करेगा, जिसे पूरी तरह से कम कर दिया गया है अपीलकर्ता के वकील द्वारा उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय। दूसरे शब्दों

में, यदि व्यभिचार का आरोप प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में या किसी अन्य बाद की कार्यवाही में लगाया गया है, तो अपीलकर्ता-पति को प्रतिवादी-पत्नी द्वारा कथित क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए प्रार्थना को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन करने के लिए कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि अगर मुद्दों को तैयार नहीं किया गया है, जब पार्टियों ने संबंधित पक्षों की दलीलों और प्रति-दलीलों को समझ लिया है और मुख्य मुद्दे पर प्रमुख सबूतों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े हैं कि व्यभिचार का आरोप सही था या नहीं, तो अदालत यह निर्णय लेने के लिए सक्षम है कि क्या प्रतिवादी-पत्नी द्वारा ऐसी कोई क्रूरता की गई थी। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता-पति की दलील कि वह व्यभिचार के निराधार आरोप के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार है, को सिर्फ इसलिए विफल नहीं किया जा सकता क्योंकि संशोधन उसके कहने पर नहीं किया गया था और प्रासंगिक मुद्दा तैयार नहीं किया गया था।

(26) यहां तक कि प्रारंभिक कार्यवाही के बाद किए गए व्यभिचार के निराधार आरोपों को संबंधित पक्ष द्वारा स्थापित तलाक के लिए याचिका का फैसला करते समय कानून की अदालत द्वारा गंभीरता से लिया जा सकता है।

(27) आइए अब हम अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी-पत्नी द्वारा लगाए गए व्यभिचार के आरोप का विज्ञापन करें। तथ्य यह है कि दोनों पक्षों के पास इस तरह के एक मामले को छूने वाले पर्याप्त सबूत हैं, प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप, हालांकि ट्रायल कोर्ट द्वारा संदर्भ के साथ कोई विशिष्ट तैयार नहीं किया गया था।

(28) Ex.R1 से Ex.R-3, वर्ष 1994-1995 में लिखे गए पत्र, यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिवादी का अपनी सास के साथ संबंध काफी सामान्य था। अपीलकर्ता द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था कि प्रतिवादी ने अपने माता-पिता की उपेक्षा की थी। Ex.P21 अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को संबोधित एक पत्र पाया जाता है। पत्र का भौतिक भाग इस प्रकार है:

"मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं दोनों के बिना रह सकता हूं।

दोनों मेरे बिना रह सकते हैं। एक्स

इस समय बच्चों को दोनों महिलाओं से ज्यादा मेरी जरूरत है। एक्स

कई महिलाओं को मुझे सेक्सी लगता है और मुझे सभी महिलाएं किसी न किसी तरह से सेक्सी लगती हैं।

एक्स

मैंने विपरीत लिंग के लिए अपनी कमजोरी के कारण अपने माता-पिता के सपनों और इच्छाओं को तोड़ दिया है। हो सकता है कि मैं ओवर-सेक्स्ड हूं और यह मेरे जीन में है।

(29) उपरोक्त पत्र अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी-पत्नी को लिखा गया है। बेशक, जैसा कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, यह एक आत्म-प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के आत्म-प्रतिबिंब को प्रतिवादी को एक पत्र के रूप में लिखा गया था। अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह पत्र उसके द्वारा अपनी पत्नी को लिखा गया था। अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी को संबोधित पत्र में पाई गई मौलिक पंक्तियां स्पष्ट रूप से

बिना किसी अस्पष्टता के स्थापित करती हैं कि उसने अपने वैवाहिक संबंधों के बाहर कम से कम एक महिला के साथ अंतरंगता विकसित की थी, जैसा कि प्रतिवादी-पत्नी ने सही आरोप लगाया है।

(30) Ex.P15 से Ex.P17 की तस्वीरें इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझा लेती हैं कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा कथित महिला के साथ अंतरंगता विकसित की थी। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी-पत्नी व्यभिचार के किसी भी निराधार आरोप के साथ सामने नहीं आई है। हमारा दृढ़ मत है कि उनके आरोप सच्चाई से भरे हुए हैं।

(31) प्रतिवादी-पत्नी सब कुछ भूलने और अपीलकर्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन यह केवल अपीलकर्ता है जो तर्क देता है कि वैवाहिक जीवन जीने के लिए प्रतिवादी के साथ जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से किए गए परित्याग का सवाल भी अस्पष्ट रूप से नहीं उठता है।

(32) अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा संदर्भित महिला लिलू चौधरी को निष्पक्ष सुनवाई दिए बिना निंदा नहीं की जा सकती है। Ex.P15 से P17 और Ex.P21 के आकार में उपरोक्त सामग्रियों के तथ्य में, लिल्लू चौधरी की अभियोग केवल एक खाली औपचारिकता है। अन्यथा भी, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की योजना के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो यह अधिदेशित करता हो कि उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत मांगी गई राहत प्रदान करने से पहले ऐसे पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किया गया उपरोक्त सबमिशन प्रभावशाली नहीं पाया जाता है।

(33) आइए अब हम प्रतिवादी-पत्नी द्वारा उठाई गई क्रॉस-आपत्तियों को लेते हैं। उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर याचिका को पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए खारिज करने की प्रार्थना करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी फिर से मिल गए थे और खुशी से एक साथ रहने लगे थे। अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रवेश को छोड़कर कि उसे उन बच्चों के साथ प्रतिवादी की संगति में रहना था जो विदेश से आए थे, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर किए जाने के बाद अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने एक-दूसरे के साथ सहवास करना शुरू कर दिया है।

(34) इसलिए, हमारे विचार में, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा तलाक के लिए दायर याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करने वाले आवेदन को इस दलील पर खारिज कर दिया है कि वे पति-पत्नी के रूप में शामिल हो गए थे और एक साथ रहना शुरू कर दिया था, जो प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से की गई क्रूरता को माफ करने के समान होगा।

(35) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि अपीलकर्ता क्रूरता के सामान्य आरोपों के साथ सामने आया है जो दिन-प्रतिदिन के पारिवारिक जीवन में पाए जाते हैं। क्रूरता का कोई विशिष्ट उदाहरण जिसने उसे पीड़ा दी थी और उसे दर्द और पीड़ा भुगतने के लिए मजबूर किया था, अपीलकर्ता-पति द्वारा दलील और स्थापित किया गया था। प्रतिवादी-पत्नी द्वारा लगाया गया व्यभिचार का आरोप अच्छी तरह से स्थापित है। इसलिए, इस तरह का आरोप क्रूरता नहीं होगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता के कमजोर नैतिक फाइबर ने प्रतिवादी को अलग रहने के लिए मजबूर किया होगा।

अन्यथा भी, वह अपीलकर्ता में शामिल होने के लिए तैयार है,अपीलकर्ता के आचरण को भूलना। इसलिए, प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार परित्याग का आरोप भी विचार के लिए जीवित नहीं है।

(36) इन सभी कारणों से, हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि अपीलकर्ता क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक का हकदार नहीं है। इसलिए, अपील के साथ-साथ क्रॉस-ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया जाता है।

ऋताम्ब्रा ऋषि

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा